न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला गंगापुरसिटी

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
32 / 2018	13.3.2018	21.01.2025

सवाई माधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 जरिए प्रबन्ध संचालक सवाईमाधोपुर एवं करौली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 जरिए हाल प्रबन्धक एल0सी0 बलाई —वादी

बनाम

1. मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज गंगापुर सिटी जरिए पुजारी श्री शंकर लाल पुत्र माखनदास, ब्राह्मण निवासी चूली तह0 गंगापुर सिटी
2. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक खातेदारी,
दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री परमानन्द शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 2.4.2009 को इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वादी सवाई माधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 एक सहकारी संस्था है जिसके प्रबन्धक संचालक श्री एल0सी0 बलाई है। जिन्हें वादी संस्था की ओर से जरिए प्रबन्धक संचालक दावा प्रस्तुत करने का व न्यायालय में उपस्थित होकर वादी संस्था की ओर से साक्ष्य देने का अधिकार है। माखनदास चेला बालकदास जाति ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी की खातेदारी की आराजी साबिक ख0नं0 73 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 74 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 169/1 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा, ख0 नं0 199 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा जमाबंदी सं0 2029 से 2032 के अनुसार रही है। इसमें से ख0नं0 73 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 74 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 169/1 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा वादी संस्था के विकास के लिए दिनांक 4.2.1980 को अवाप्त कर वादी संस्था के हक में आवंटित कर दिए गए एवं अवार्ड राशि खातेदार द्वारा प्राप्त कर ली गई। तभी से उक्त भूमि पर वादी संस्था का कब्जा चला आ रहा है एवं उक्त भूमि में वादी संस्था के कार्यालय मकान व बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। वर्तमान भू—प्रबन्ध में एकीकरण ख0नं0 73 का नवीन ख0नं0 452, साबिक ख0नं0 74 का [illegible] 27 एयर, ख0नं0 436 रकबा 11 एयर, ख0नं0 437 रकबा 30 [illegible] ख0नं0 438 रकबा 25 एयर, ख0नं0 439 रकबा 49 एयर, [illegible] ख0नं0 455 रकबा 46 एयर, साबिक ख0नं0 169 [illegible] 456 रकबा 45 [illegible] ख0नं0 457 रकबा 47 एयर, ख0नं0 458 रकबा [illegible] एयर, ख0नं0 45[illegible] रकबा 42 एयर, ख0नं0 460 रकबा 22 एयर, ख0नं0 461 रकबा 26 एयर, ख0नं0 463

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:57:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

सवाईमाधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक बनाम मंदिर श्री गोविन्द देव जी

रकबा 26 पुख्ता, खसरा नं० 464 रकबा 1.16 है०, खसरा नं० 465 रकबा 22 पुख्ता, खसरा नं० 466 रकबा 27 पुख्ता, खसरा नं० 483 रकबा 21 पुख्ता, खसरा नं० 484 रकबा 24 पुख्ता, खसरा नं० 461 रकबा 32 पुख्ता कायम किए गए हैं। इसका पूर्व खातेदारी भी वादी संस्था डेयरी फार्म के नाम से वादी संस्था को प्राप्त हो चुका था लेकिन वादी संस्था के नाम चली आती होने के बाद भी भू प्रबन्ध कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार के तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, वादी संस्था की आवंटनशुदा भूमि को प्रतिवादी मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज के नाम दर्ज कर दिया जबकि मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज का वादी संस्था की भूमि से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। अवार्ड दिनांक 4.2.80 से विवादित भूमि पर लगातार कब्जा वादी संस्था का चला आ रहा है। वादी संस्था के हक में जो अवार्ड जारी किया गया है एवं इस आधार पर वादी संस्था के हक में जो भूमि आवंटित की गई है को सिविल एवं रेवेन्यू न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। यदि अवार्ड में किसी प्रकार की कोई अनियमितता थी तो उसे रेफरेन्स के जरिए ही चैलेन्ज किया जा सकता था। अवार्ड द्वारा अवाप्त की गई भूमि के सम्बन्ध में भू-प्रबन्ध विभाग वालों को किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं था और ना ही सार्विक इन्द्राज को बदलने का कोई क्षेत्राधिकार भू-प्रबन्ध विभाग को प्राप्त था लेकिन इन्होंने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर बिना किसी अधिकार के वादी की अवाप्तशुदा भूमि का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के हक में कर दिया है जिसकी वादी संस्था को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किए गए इस गलत इन्द्राज के कायम रहने से वादी संस्था के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूरी पूरी संभावना है। वादी संस्था को भू-प्रबन्ध के इस गलत इन्द्राज की जानकारी राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त करने से दिनांक 13.3.09 को हुई है। जानकारी होने से दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम [illegible] में स्थित भूमि हाल खसरा नं० 435, 436, 437, 438, 439, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 483, 484, 538, 539/568 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से हटाकर किया जाकर सवाईमाधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० के नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी [illegible] की कोई मजाहमत पैदा नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया [illegible] किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 [illegible] उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध दिनांक 30.4.2009 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:57:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं० 2064 से 2067 प्रदर्श-1, नकल जमाबंदी सं० 2029 से 2032 प्रदर्श-2, नकल [illegible] प्रदर्श-3 प्रस्तुत किए एवं तत्कालीन प्रबन्ध संचालक श्री [illegible] के बयान पी०डब्लू० 1 कराए। इसके अतिरिक्त नकल निर्णय भूमि अवाप्ति अधिकारी दिनांक 4.2.80 की छायाप्रति, नकल नामान्तरकरण संख्या 22 दि० 10.5.74 की छायाप्रति भी प्रस्तुत किए।

वादी का यह दावा दिनांक 31.8.2009 को डिक्री किया जाकर वादी को भूमि ख०नं० 435 रकबा 27 एयर, ख०नं० 436 रकबा 11 एयर, ख०नं० 437 रकबा 30 एयर, ख०नं० 438 रकबा 25 एयर, ख०नं० 439 रकबा 49 एयर, ख०नं० 451 रकबा 32 एयर, ख०नं० 452 रकबा 53 एयर, ख०नं० 453 रकबा 47 एयर, ख०नं० 455 रकबा 46 एयर, ख०नं० 456 रकबा 45 एयर, ख०नं० 457 रकबा 47 एयर, ख०नं० 458 रकबा 36 एयर, ख०नं० 459 रकबा 42 एयर, ख०नं० 460 रकबा 22 एयर , ख०नं० 461 रकबा 26 एयर, ख०नं० 463 रकबा 25 एयर, ख०नं० 464 1.18 है०, ख०नं० 465 रकबा 22 एयर, ख०नं० 466 रकबा 27 एयर, ख०नं० 483 रकबा 21 एयर, ख०नं० 484 रकबा 24 एयर, ख०नं० 538 रकबा 19 एयर, ख०नं० 539/568 रकबा 53 एयर कुल रकबा 8.47 है० ग्राम सालोदा का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए यह भूमि मंदिर श्री गोविन्द देव जी की खातेदारी से कम कर भूमि वादी की खातेदारी मे दर्ज करने का आदेश दिया गया।

इस निर्णय व डिक्री दिनांक 31.8.2009 के विरूद्ध प्रतिवादी सं० 1 ने इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7.4.2017 को खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 7.4.2017 के विरूद्ध प्रतिवादी सं० 1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 10.7.2017 को खारिज कर दी गई। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 10.7.2017 के विरूद्ध प्रतिवादी सं० 1 ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जो राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 2.2.2018 द्वारा स्वीकार की गई एवं राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 10.7.2017, उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी का निर्णय दिनांक 7.4.2017 एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 31.8.2009 निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० स्वीकार कर लिया एवं प्रकरण में प्रतिवादी को जबाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिअनुसार पुनः निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी को प्रतिप्रेषित कर दिया।

माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 2.2.2018 के अनुसरण में प्रस्तुत वाद पत्र पुनः इस न्यायालय में दर्ज किया गया। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 30.4.2018 को अपना जबाब दावा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाव दावे में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को
अस्वीकार करते हुए जबाव दावे के विशेष विवरण में अंकित किया है कि
वर्तमान खसरा नम्बर 439 रकबा 0.49 है0, ख0नं0 451 रकबा 0.32 है0, ख0
नं0 452 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 453 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 455 रकबा
0.46 है0, ख0नं0 456 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 457 रकबा 0.47 है0, ख0नं0
458 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 459 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 460 रकबा 0.22
है0, ख0नं0 461 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 463 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 464
रकबा 1.18 है0, ख0नं0 465 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 466 रकबा 0.27 है0,
ख0नं0 483 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 484 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 538 रकबा
0.19 है0, ख0नं0 539/568 रकबा 0.53 है0 कुल किता 23 कुल रकबा 8.47
है0 वर्तमान राजस्व अभिलेख में मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज की
खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। उक्त वर्णित भूमि में से ख0नं0
538 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 539/568 रकबा 0.53 है0 साबिक ख0नं0 199
रकबा 3 बीघा 7 विस्वा से भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाए गए हैं जबकि अन्य
शेष वर्णित हाल खसरा नम्बरान साबिक ख0नं0 73 रकबा 4 विस्वा, ख0नं0
74 रकबा 11 बीघा 7 विस्वा व ख0नं0 169 रकबा 24 बीघा 9 विस्वा से बने
हुए नम्बर हैं। साबिक ख0नं0 73, 74, 169/1 व 199 मुताबिक खतौनी
एकीकरण माफी मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज विराजमान चूली की
खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है जिसका इन्द्राज खतौनी एकीकरण सं0
2016 में अंकित है तथा अहतमाम पुजारी के रूप में माखनदास चेला
लाडलीदास कौम ब्राह्मण निवासी चूली अंकित है। उक्त वर्णित एकीकरण के
नम्बरान से पूर्व मंदिर की भूमि के मुताबिक खतौनी बन्दोवस्त सं0 2003
लगायत 2022 में ख0नं0 182 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, ख0नं0 183 रकबा 1
बीघा 7 विस्वा, ख0नं0 184 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा, ख0नं0 185 रकबा 1
बीघा 5 विस्वा, ख0नं0 186 रकबा 14 विस्वा, ख0नं0 187 रकबा 1 बीघा 10
विस्वा, ख0नं0 188 रकबा 4 विस्वा, ख0नं0 189 रकबा 16 विस्वा, ख0नं0
190 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, ख0नं0 191 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 199 रकबा
1 बीघा 3 विस्वा, ख0नं0 201 रकबा 5 विस्वा, ख0नं0 456 रकबा 2 बीघा 19
विस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 12 बीघा 16 विस्वा मिन जबाबदार मंदिर श्री
गोविन्द देव जी महाराज की खातेदारी व खुद की कब्जे काश्त में अंकित
नही है। खतौनी बंदोवस्त सं0 2003 लगायत 2022 में मिन जबाबदार की
खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के नवीन [illegible] सं0 2016 एकीकरण में
ख0नं0 73, 74, 169/1 व 199 [illegible] बीघा 4 विस्वा
कायम किए गए। उक्त एकीकरण के [illegible] नम्बरान के उपरोक्त वर्णित
नवीन खसरा नम्बरान सेटिलमेंट विभाग द्वारा कायम किए गए हैं। एकीकरण
खतौनी सं0 2016 में भूमि मिन जबाबदार मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज
की खातेदारी व कब्जे काश्त की अंकित की है परन्तु तत्पश्चात् राजस्व
कर्मचारियों द्वारा सहवन से मिन जबाबदार की खातेदारी व कब्जे काश्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:57:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

भूमि को बअहतमाम पुजारी माखनदास चेला लाडलीदास कौम ब्राह्मण साकिन चूली के हक में खातेदारी के रूप में अंकित कर दिया जिसका इन्द्राज जमाबंदी सं0 2025 से 2028 में अंकित हुआ। विधि अनुसार मूर्ति शाश्वत् नाबालिग की भूमि को किसी भी प्रकार किसी भी दीगर व्यक्ति के हक में नामान्तरित नहीं की जा सकती है क्योंकि मूर्ति एक शाश्वत् नाबालिग है जिसकी संपदा अहस्तांतरणीय है व अंतरण योग्य नहीं है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा शाश्वत् नाबालिग मूर्ति की जायदाद के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार नामान्तकरण आदि की कार्यवाही कर भी ली गई है तो वह कार्यवाही शाश्वत् नाबालिग मूर्ति के हितो के विरूद्ध प्रारम्भ से शून्य, विधि विरूद्ध, प्रभावहीन कार्यवाही की संज्ञा में मानी जाती है जिसके आधार पर अंतरिती के हक में किसी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नहीं होते। मिन जबाबदार मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज की खातेदारी व कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि से ही मंदिर के भोगराग व सेवा पूजा की व्यवस्था जरिए पुजारीगण होती चली आ रही है। पुजारीगण मंदिर के हितार्थ भूमि को मजदूरी से अथवा आध बटाई पर विभिन्न व्यक्तियों से काश्त करवाते रहे है। निर्विवाद भूमि ख0नं0 538 व 539/568 पर कानजी गुर्जर आदि व्यक्ति मूर्ति की ओर से आधबटाई पर काश्त करते रहे हैं परन्तु उक्त लोगों द्वारा मूर्ति को आध बटाई देने से इन्कार कर दिया जिससे व्यथित होकर मूर्ति की ओर से एक दावा सनवानी मूर्ति मंदिर गोविन्द देव जी बनाम कानजी आदि अन्तर्गत धारा 183 राज0का0 अधि0 के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किया गया जो गुणावगुण पर वादी मूर्ति के हक में निर्णित हुआ तथा ख0नं0 538 व 539/568 पर काबिज काश्त बटाईदारो को मूर्ति के हितार्थ बेदखल किए जाने हेतु डिक्री पारित की गई । उक्त वर्णित ख0नं0 538 व 539/568 पर प्रारम्भ से ही काश्त होती रही है जो मूर्ति के हितार्थ काश्त होती रही है जिससे वादी संस्था का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। वादी संस्था द्वारा कथित अवाप्ति आधीन भी उक्त खसरा नम्बरान अथवा उक्त खसरा नम्बरान के साबिक ख0नं0 199 कभी नहीं रहे है। सदैव से ही साबिक ख0नं0 199 व 199 से बने नवीन ख0नं0 538 व 539/568 निर्विवाद भूमि रही है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में कहीं भी उक्त खसरा नम्बरान को स्वयं के अवाप्ति आधीन होना कथित नहीं किया है और न ही उक्त नम्बरान से वादी किसी भी रूप से हितबद्ध है। उक्त खसरा नम्बरान पूर्ण रूपेण निर्विवाद है जिसको बदयानतिपूर्वक हड़पने के उद्देश्य से वादी द्वारा वाद पत्र के अनुतोष खण्ड में गलत रूप से अंकित किया है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के [illegible] कायम की गई–

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:57:28 IST
Reason: SelfAttested

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 [illegible] साबिक ख0नं0 74 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा, साबिक [illegible] 22 बीघा 6 बिस्वा स्थित ग्राम सालोदा दिनांक 4.2.80 को अवाप्त की [illegible]कर वादी संस्था को आवंटित

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

की गई जिसकी अवार्ड राशि खातेदार द्वारा प्राप्त कर ली गई एवं तभी से इस भूमि पर वादी संस्था का कब्जा चला आ रहा है। ——वादी

2. आया भू–प्रबन्ध के दौरान भूमि साबिक ख0नं0 73 का नवीन नम्बर 452, साबिक ख0नं0 74 का नवीन नम्बर 435 रकबा 27 एयर, ख0नं0 436 रकबा 11 एयर, ख0नं0 437 रकबा 30 एयर, ख0नं0 438 रकबा 25 एयर, ख0नं0 439 रकबा 49 एयर, ख0नं0 453 रकबा 47 एयर, ख0नं0 455 रकबा 46 एयर, साबिक ख0नं0 169 के नवीन ख0नं0 456 रकबा 45 एयर, ख0नं0 457 रकबा 47 एयर, ख0नं0 458 रकबा 36 एयर, ख0नं0 459 रकबा 42 एयर, ख0नं0 460 रकबा 22 एयर, ख0नं0 461 रकबा 26 एयर, ख0नं0 463 रकबा 25 एयर, ख0नं0 464 रकबा 1.18 है0, ख0नं0 465 रकबा 22 एयर, ख0नं0 466 रकबा 27 एयर, ख0नं0 483 रकबा 21 एयर, ख0नं0 484 रकबा 24 एयर, ख0नं0 451 रकबा 32 एयर कायम किए गए हैं जिनका पर्चा लगान भी वादी संसीा के नाम जारी किया गया। ——वादी

3. आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी संस्था के हक में अवाप्त एवं वादी की कब्जेशुदा भूमि ख0नं0 435, 436, 437, 438, 439, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 483, 484, 538, 539/568 को गलत रूप से प्रतिवादी मंदिर के नाम दर्ज कर दिया है जिसकी खातेदारी घोषणां वादी संस्था अपने नाम करवाने, इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती करवाने एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। ——वादी

4. आया वादग्रस्त भूमि वर्तमान में मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज की खातेदारी में दर्ज है जो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सही दर्ज की गई है। पूर्व में यह भी गलत तरीके से पुजारी के नाम अंकित कर दी गई थी एवं इस गलती को भू–प्रबन्ध के दौरान सही किया जाकर भूमि मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है। मंदिर शाश्वत नाबालिग है जिसकी भूमि किसी अन्य की खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती है। ——प्रतिवादी

5. आया भूमि साबिक ख0नं0 199 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा मंदिर श्री गोविन्द देव जी की खातेदारी की भूमि रही है जिसका अवाप्ति से वास्ता नहीं है। इसके नवीन नम्बर 538, 539/568 बनाए गए हैं जो सही प्रकार से मंदिर के नाम दर्ज किए गए हैं। ——प्रतिवादी

6. आया वादी संस्था ने दावा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। ——प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:57:28 IST
Reason: SelfAttested

7. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादी [illegible] 2064 से 2067 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2029 से 2032 [illegible]–2, नकल पर्चा खतौनी प्रदर्श–3 प्रस्तुत किए एवं तत्कालीन प्रबन्ध स[illegible]लक श्री एल0सी0बलाई के बयान पी0डब्लू0 1 कराए। इसके अतिरिक्त नकल निर्णय भूमि अवाप्ति आदेश

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

स0मा0 एवं करौली जिला दुग्ध उत्पा0संघ बनाम मंदिर श्री गोविन्द देव जी दिनांक 4.2.80 की छायाप्रति, नकल नामान्तरकरण संख्या 22 दि0 10.5.74 की छायाप्रति भी प्रस्तुत किए हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाब दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2025 से 2028, नकल जमाबंदी सं0 2021 से 2024, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण विभाग, नकल फर्द मुतावक्त, नकल खतौनी बन्दोवस्त सं0 2003 ल0 2022, नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2016, नकल नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 4.11.10, नकल नक्शा ट्रेस, नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

दिनांक 27.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ने पुनः जबाब दावा प्रस्तुत किया है। इस जबाब दावे के मद नं0 11 में प्रतिवादी संख्या 1 ने अंकित किया है कि उपमद क में वादपत्र में अंकित अवाप्तशुदा भूमि के अतिरिक्त खसरा नम्बर 538, 539/568 को गलत रूप से अंकित करते हुए विवादित करने का प्रयत्न किया गया है तथा उक्त दोनों खसरा नम्बरान को वादी के नाम दर्ज करने की गलत रूप से अनुतोष की अधियाचना की गई है जबकि खसरा नम्बर 538 व 539/568 ग्राम सालोदा कभी भी किसी भी रूप से किसी भी संस्था को अथवा वादी को अवाप्त नहीं की गई है और ना ही उसका कोई अवार्ड पारित हुआ है। उक्त खसरा नम्बर 538 व 539/568 मिनजबाबदार मूर्ति मंदिर की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिससे वादी संस्था का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं है। उक्त दोनों नम्बरों को वादी संस्था गलत रूप से वाद पत्र के अनुतोष भाग में अंकित कर अपने नाम खातेदारी की घोषणां करवाना चाहती है जबकि इन नम्बरों से वादी संस्था को कोई सम्बन्ध नहीं होना बतलाया है फिर भी गलत रूप से अनुतोष भाग में उक्त खसरा नम्बरान का इन्द्राज किया गया है जो स्वीकार नहीं है। ख0नं0 538 व 539/568 स्थित ग्राम सालोदा तन्हा रूप से मिन जबाबदार की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि प्रारम्भ से ही चली आ रही है जो प्रकरण में निर्विवाद भूमि है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 24.12.2024 को वकील उभयपक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। वकील उभयपक्ष ने प्रस्तुत मामले में अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया एवं प्रकरण में अब तक प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर सिटी द्वारा निर्णय दिनांक 4.2.1980 द्वारा भूमि साबिक ख0नं0 73 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा साबिक ख0नं0 74 रकबा 11 बीघा 7 विस्वा, साबिक ख0नं0 169 रकबा 22 बीघा 6 विस्वा व साबिक ख0 नं0 176 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा कुल 37 बीघा 1 विस्वा भूमि स्थित ग्राम सालोदा वादी संस्था के लिए अवाप्त की गई थी एवं मुआवजा राशि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:57:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

भुगतान भी सम्बन्धित खातेदारान को वादी संस्था द्वारा किया जा चुका है। भूमि अवाप्ति के दौरान भू–प्रबन्ध कार्य चल रहा था इसलिए उपरोक्त वर्णित साबिक खसरा नम्बरों से नवीन नम्बर कायम हो गए। इनमें साबिक ख0नं0 73 के नवीन ख0नं0 452 रकबा 0.53 है0, साबिक ख0नं0 74 के नवीन ख0नं0 435 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 436 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 437 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 438 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 439 रकबा 0.49 है0, ख0नं0 452 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 453 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 455 रकबा 0.46 है0, साबिक ख0नं0 169 के नवीन ख0नं0 456 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 457 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 458 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 459 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 460 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 461 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 463 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 464 रकबा 1.18 है0, ख0नं0 465 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 466 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 483 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 484 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 451 रकबा 0.32 है0 कायम किए गए हैं। इनका पर्चा खतौनी भी वादी संस्था के नाम भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी कर दिया गया था परन्तु इसके बाद जो राजस्व रिकार्ड आया उसमें इन नम्बरों को पुनः मंदिर श्री गोविन्द देव जी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। वादी संस्था ने उपरोक्त नम्बरों की खातेदारी घोषणां का दावा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जो दिनांक 31.8.2009 को एकतरफा में डिक्री कर दिया गया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी मंदिर श्री गोविन्द देव जी की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के यहां अपील प्रस्तुत की गई जो खारिज हो गई एवं राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी में इस न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.8.2009 खारिज कर दिया गया व पुनः सुनवाई हेतु निर्देश दिए गए। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.8.2009 में उपरोक्त वर्णित नम्बरों के अतिरिक्त भूमि ख0नं0 538 रकबा 0.19 है0 व ख0नं0 539/568 रकबा 0.53 है0 भी शामिल कर दिए गए जबकि ये दोनों नम्बर साबिक ख0नं0 199 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा से बने हैं एवं साबिक ख0नं0 199 वादी संस्था के लिए अवाप्त ही नहीं किया गया था। इसलिए भूमि ख0नं0 538 रकबा 0.19 है0 एवं ख0नं0 539/568 रकबा 0.53 है0 को छोडकर इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 31.8.2009 में वर्णित ख0नं0 452 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 435 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 436 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 437 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 438 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 439 रकबा 0.49 है0, ख0नं0 452 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 453 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 455 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 456 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 457 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 458 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 459 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 460 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 461 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 463 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 464 रकबा 1.18 है0, ख0नं0 465 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 466 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 483 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 484 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 451 रकबा 0.32 है0 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:57:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

रकबा 7.75 है0 ग्राम सालोदा की खातेदारी वादी संस्था के नाम दर्ज करवाने का कष्ट करें।

प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि हाल ख0नं0 538 व 539/568 से वादी संस्था का कोई वास्ता नहीं है। ये दोनों नम्बर पूर्व से ही मंदिर श्री गोविन्द देव जी की खातेदारी में चले आ रहे हैं एवं वर्तमान में भी ये मंदिर श्री गोविन्द देव जी की खातेदारी में ही दर्ज है। इन दोनों नम्बरों के बाबत् वादी संस्था का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल निर्णय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर सिटी के अनुसार भूमि साबिक ख0नं0 73 रकबा 4 बिस्वा, साबिक ख0नं0 74 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा, साबिक ख0नं0 169 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा, साबिक ख0नं0 176 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा ग्राम सालोदा वादी संस्था के लिए अवाप्त की गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इन नम्बरों के नवीन ख0नं0 452 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 435 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 436 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 437 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 438 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 439 रकबा 0.49 है0, ख0नं0 452 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 453 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 455 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 456 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 457 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 458 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 459 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 460 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 461 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 463 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 464 रकबा 1.18 है0, ख0नं0 465 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 466 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 483 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 484 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 451 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 7.75 है0 ग्राम सालोदा बने हैं जो नकल जमाबंदी सं0 2064 से 2067 प्रदर्श–1 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 मंदिर श्री गोविन्द देव जी की खातेदारी में दर्ज कर दिए गए हैं एवं इन सभी नम्बरों की किस्म गै0मु0 डेरीफार्म दर्ज की हुई है। वादी संस्था ने हाल ख0नं0 538 एवं 539/568 की खातेदारी घोषणा भी अपने नाम चाही है जबकि ये दोनों नम्बर साबिक ख0नं0 199 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा से बने हैं एवं साबिक ख0नं0 199 वादी संस्था के लिए अवाप्त भी नहीं किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में भी केवल ख0नं0 538 व 539/568 के बाबत् ही उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में ख0नं0 538, 539/568 को छोडकर शेष उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों [illegible] अपने नाम घोषित कराने की अधिकारी है एवं इसी अनुसार [illegible] का वादपत्र डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी संस्था द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाता है। भूमि

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:57:28 IST
Reason: SelfAttested

ख0नं0 452 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 435 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 436 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 437 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 438 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 439 रकबा 0.49 है0, ख0नं0 452 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 453 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 455 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 456 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 457 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 458 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 459 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 460 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 461 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 463 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 464 रकबा 1.18 है0, ख0नं0 465 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 466 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 483 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 484 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 451 रकबा 0.32 है0 कुल रकबा 7.75 है0 ग्राम सालोदा का वादी सवाईमाधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मंदिर श्री गोविन्द देव जी सा0 देह खातेदार की खातेदारी से कम की जाकर वादी संस्था की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
सवाईमाधोपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:57:28 IST
Reason: SelfAttested